म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक– मंडी बोर्ड/प्रांगण/बी–4/गेहूँ एमएसपी/2015/२१४ **भोपाल,दिनांक : 31.03.15**

–:: आदेश ::–

माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2015 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर एवं समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गयी एवं उक्त चर्चा के अनुपालन में निम्नांकित निर्देश दिये जा रहे हैं :–

1– विषय संदर्भ में मंडी बोर्ड के द्वारा जारी निर्देश दिनांक 26.03.2015 का अवलोकन हो, जिसमें सभी संबंधितों को यह निर्देशित किया गया है कि, मंडी प्रांगण में कार्यरत् समर्थन मूल्य क्रय केन्द्र पर एवं मंडी प्रांगण में खुले घोष में गेहूँ की एफएक्यू गुणवत्ता का निर्धारण राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश क्रमांक–एफ–5–31/2014/29–1 दिनांक 12 मार्च, 2015 की कंडिका क्रमांक–13.1 में उल्लेख अनुसार सुनिश्चित किया जाये। सभी मंडी सचिवों का यह दायित्व होगा कि वह मंडी प्रांगण में विक्रित होने वाले गेहूँ के एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता का निर्धारण संपूर्ण सावधानी एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निश्चित करायें। साथ ही प्रतिदिन जिला कलेक्टर को नॉन एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता पर बिके हुए गेहूँ की मात्रा की जानकारी संप्रेषित करें तथा मंडी में इसका संपूर्ण रिकार्ड रजिस्टर में संधारित करने के साथ–साथ सेम्पल आदि को सुरक्षित रखा जावे।

2– मंडी समिति का यह दायित्व होगा कि वह सभी पक्षों से चर्चा कर कृषि उपज मंडी प्रांगण में न्यूनतम अवकाश रखें और अधिक–से–अधिक दिवसों को कार्य दिवस रखते हुए किसानों को उनकी कृषि जिन्सों की विक्रय की सुविधा प्रदान करायें।

3– कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक ट्रिकर बोर्ड पर आसपास की प्रमुख मंडियों के तथा स्वयं की गेहूँ की दैनिक आवक तथा भावों की जानकारी का प्रदर्शन किया जाये और उदघोषणा यंत्रों के माध्यम से लगातार मंडी में इसका प्रसारण भी किया जाये। मंडी प्रांगणों के सूचना पटल पर भी यह जानकारी नियमित रूप से प्रदर्शित की जाये।

4– प्रत्येक मंडी समिति में उपलब्ध मॉईश्चर मीटर को क्रियाशील किया जाये और यदि आवश्यकता हो तो नये मॉईश्चर मीटर का क्रय नियमानुसार तत्काल किया जाये तथा मंडी बोर्ड के निर्देश दिनांक 26.03.2015 की कंडिका–3 के अनुसार इसका उपयोग मंडी एवं मंडी प्रांगण में कार्यरत् समर्थन मूल्य क्रय संस्था को करने दिया जाये।

5– मंडी बोर्ड के निर्देश दिनांक 26.03.2015 कंडिका–2 के अनुसार कृषि उपज मंडी प्रांगण में आरंभ हुए समर्थन मूल्य क्रय केन्द्र पर किसानों की सुविधा हेतु क्रय संचालन करने वाली सहकारी समिति से अनुरोध प्राप्त होने पर, पंखा एवं छन्ना लगाने की अनुमति तत्काल प्रदान की जावे।

6– प्रत्येक आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल प्रभाव से 25 मई, 2015 तक प्रत्येक कार्य दिवस में कम–से–कम तीन से पॉच कृषि उपज मंडी समितियों का औचक निरीक्षण करेंगे और समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक

कमांक– मंडी बोर्ड/प्रांगण/बी–4/गेहूँ एमएसपी/2015/२११ भोपाल,दिनांक : 31.03.15

प्रति :–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3– प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल।

4– सचिव, मुख्यमंत्री, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।

5– कलेक्टर, जिला...(समस्त)।

6– प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल।

7– प्रबंध संचालक, मार्कफेड भोपाल ।

8– संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....

7– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ....

प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल